जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./18/डी– 751 दिनांकः– 9-8-18

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **145वीं बैठक दिनांकः 07.08.2018 को प्रातः 11.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		145:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 144वीं बैठक दिनांक 19.07.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 128वीं से 144वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 144वीं बैठक दिनांक 19.07.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 128 से 144 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	9	145:2	ग्राम विधाणी तहसील सांगानेर के खसरा नं. 9 में स्थित श्मशान द्रव्यवती नदी से प्रभावित होने के कारण खसरा नं. 119 में से 1500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करन बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा ग्राम विधाणी तहसील सांगानेर के खसरा नं. 9 रकबा 2.92 हैक्टेयर गै.मु. नदी में स्थित श्मशान द्रव्यवती नदी से प्रभावित होने के कारण ग्राम विधाणी के खसरा नं. 119 रकबा 4.01 हैक्टेयर चरागाह में से 1500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि मास्टर प्लान में वाटर बॉडी व ग्रीन अंकित है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम विधाणी तहसील सांगानेर के खसरा नं. 119 में से 1500 वर्गमीटर भूमि खसरा संख्या 872 एवं 873 से लगती हुई सीसी रोड के पश्चिम में (संलग्न परिशिष्ट 'क' पर चिन्हित अनुसार) श्मशान हेतु आरक्षित रखने (बीपीसी–एलपी में भूमि को वाटर बॉडी परिवर्तन के अनुमोदन की प्रत्याशा में) व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उपायुक्त द्वारा भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। सर्वप्रथम उपायुक्त जोन–9 इस हेतु बीपीसी–एलपी में एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें।
3.	10	145:3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को ग्राम बिन्दायका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 259 में से 9200 वर्गमीटर भूमि स्वच्छ जलाशय व इंटरमिडीयट पम्पिंग स्टेशन निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को ग्राम बिन्दायका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 259 में से 9200 वर्गमीटर भूमि स्वच्छ जलाशय व इंटरमिडीयट पम्पिंग स्टेशन निर्माण हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त क्षेत्र में विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम बिन्दायका के खसरा नं. 259 में से 9200 वर्गमीटर भूमि इन्टर मिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं स्वच्छ जलाशय निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु सहमति व्यक्त की गई। प्रकरण निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को निर्णयार्थ भिजवाने का निर्णय लिया गया।
4.	11	145:4	मोहन तोसनीवाल (एचयूएफ) कर्ता श्री मोहन तोसनीवाल को	उपायुक्त जोन- 11 द्वारा मोहन तोसनीवाल (एचयूएफ) कर्ता श्री मोहन तोसनीवाल को सेज पुनर्वास योजना टीलावास

अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)
जयपुर विकास प्राधिकरण

			सेज पुनर्वास योजना टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 767–सी का आवंटित क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	के आवासीय भूखण्ड संख्या 767–सी क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 767–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावें।
5.	11	145:5	डॉ. ऋषि कुमार शर्मा पुत्र श्री के.सी. शर्मा को सेज पुनर्वास योजना भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 671–सी का आवंटित क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 15 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा डॉ. ऋषि कुमार शर्मा पुत्र श्री के. सी. शर्मा को सेज पुनर्वास योजना भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 671–सी क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 671–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 15 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावें।
6.	11	145:6	श्री रवि मनोहर बंटवाड़ा पुत्र श्री राममनोहर बंटवाडा एवं श्रीमती सविता बंटवाडा पत्नि श्री रवि मनोहर बंटवाडा को सेज पुनर्वास योजना भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 689–सी का आवंटित क्षेत्रफल 75 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री रवि मनोहर बंटवाड़ा पुत्र श्री राममनोहर बंटवाडा एवं श्रीमती सविता बंटवाडा पत्नि श्री रवि मनोहर बंटवाडा को सेज पुनर्वास योजना भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 689–सी क्षेत्रफल 75 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 9 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10..3 के क्रम में भूखण्ड संख्या 689–सी मं बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावें। समिति द्वारा विचार

				विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उक्तानुसार इसी ब्लॉक में समान प्रकृति के बढ़े हुये क्षेत्रफल से प्रभावित भूखण्डों के संबंध में उपायुक्त स्वतः कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
7.	12	145:7	श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह पालावत को निजी खातेदारी की आवासीय योजना सुशान्त सिटी फेज प्रथम टी ब्लॉक विस्तार में एल.आई.जी. भूखण्ड संख्या एल/8 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह पालावत को निजी खातेदारी की आवासीय योजना सुशान्त सिटी फेज प्रथम टी ब्लॉक विस्तार में एल.आई.जी. भूखण्ड एल/8 क्षेत्रफल 46.5 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 59.62 वर्गमीटर व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार क्षेत्रफल 61.19 वर्गमीटर है। आवेदक आय वर्ग अनुसार एल.आई.जी. श्रेणी के भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखता है। अतः उपायुक्त द्वारा मौका स्थिति अनुसार बढ़े हुए क्षेत्रफल 13.12 वर्गमीटर को एल.आई.जी. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या एल/8 में मौके पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 13.12 वर्गमीटर भूमि एल.आई.जी. श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8.	12	145:8	अखिल भारतीय सीरवी महासभा को बडी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 35 में से 3000 वर्गमीटर छात्रावास हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अखिल भारतीय सीरवी महासभा को बडी का खेड़ा तहसील सांगानेर में जयपुर विकास प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 35 रकबा 3.20 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 3000 वर्गमीटर भूमि सीरवी समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े, गरीब व होनहार विद्यार्थियों के लिए आवासीय छात्रावास हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा संस्था को आवंटन हेतु पात्र माना है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति में उक्त उद्देश्य हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान व मापदण्ड निर्धारित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को आवासीय छात्रावास हेतु ग्राम बडी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 35 में से 3000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
9.	12	145:9	ग्राम रामसिंहपुरा तह. जयपुर में जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार में काबिज बावरियाँ एवं बंजारा गरीब परिवारों को पुनः स्थापित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा सुजाराम, सरदार, ताराचन्द, बाबूलाल, हीरालाल, लालाराम, नानूराम, चन्दा, गुल्लाराम, जगदीश, पोखर, कैलाश व लक्की को ग्राम रामसिंहपुरा तह. जयपुर में जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार में काबिज बावरियाँ एवं बंजारा गरीब परिवारों को पुनः स्थापित करने हेतु एच ब्लॉक में नवसृजित 45 वर्गमीटर के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक–एक भूखण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त परिवार योजना के एफ–ब्लॉक पर अतिक्रमण कर लगभग 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। उक्त परिवार अत्यन्त गरीब व रोज की मजदूरी पर आश्रित है। जिनका मौके पर सत्यापन किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(76)नविवि/3/1984 जयपुर, दिनांक 31.7.16 में गाडिया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों को 50 वर्गगज तक का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त द्वारा नवसृजित किये जा रहे भूखण्डों का क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर अर्थात लगभग 53.82 वर्गगज है।

				चूंकि उक्त भूखण्ड 50 वर्गगज से अधिक हो रहे हैं। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त 13 परिवारों को रघुनाथ विहार योजना के एच ब्लॉक में उपरोक्त वर्णित भूखण्डों को पुनः अधिकतम 50 वर्गगज तक के माप के सृजित कर निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I / II व दक्षिण–I / II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त(एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 145वीं बैठक दिनांक 07.08.2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अर्चना सिंह, सचिव	सदस्य
3.	श्री हृदेश कुमार जुनेजा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ललित कुमार, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
5.	श्रीमती पूनम प्रसाद सागर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित
7.	श्रीमती लवंग शर्मा, परामर्शी (आयोजना)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन—2	विशेष आमंत्रित
9.	श्री रामनारायण बड़गुर्जर, उपायुक्त जोन—9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन—10	विशेष आमंत्रित
11.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन—11	विशेष आमंत्रित
12.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन—13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री सतीश जैन, अधिशाषी अभि., जन स्वा. अभि. वि., प्रोजेक्ट—दक्षिण—II	विशेष आमंत्रित
14.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित

परिशिष्ट 'ब'

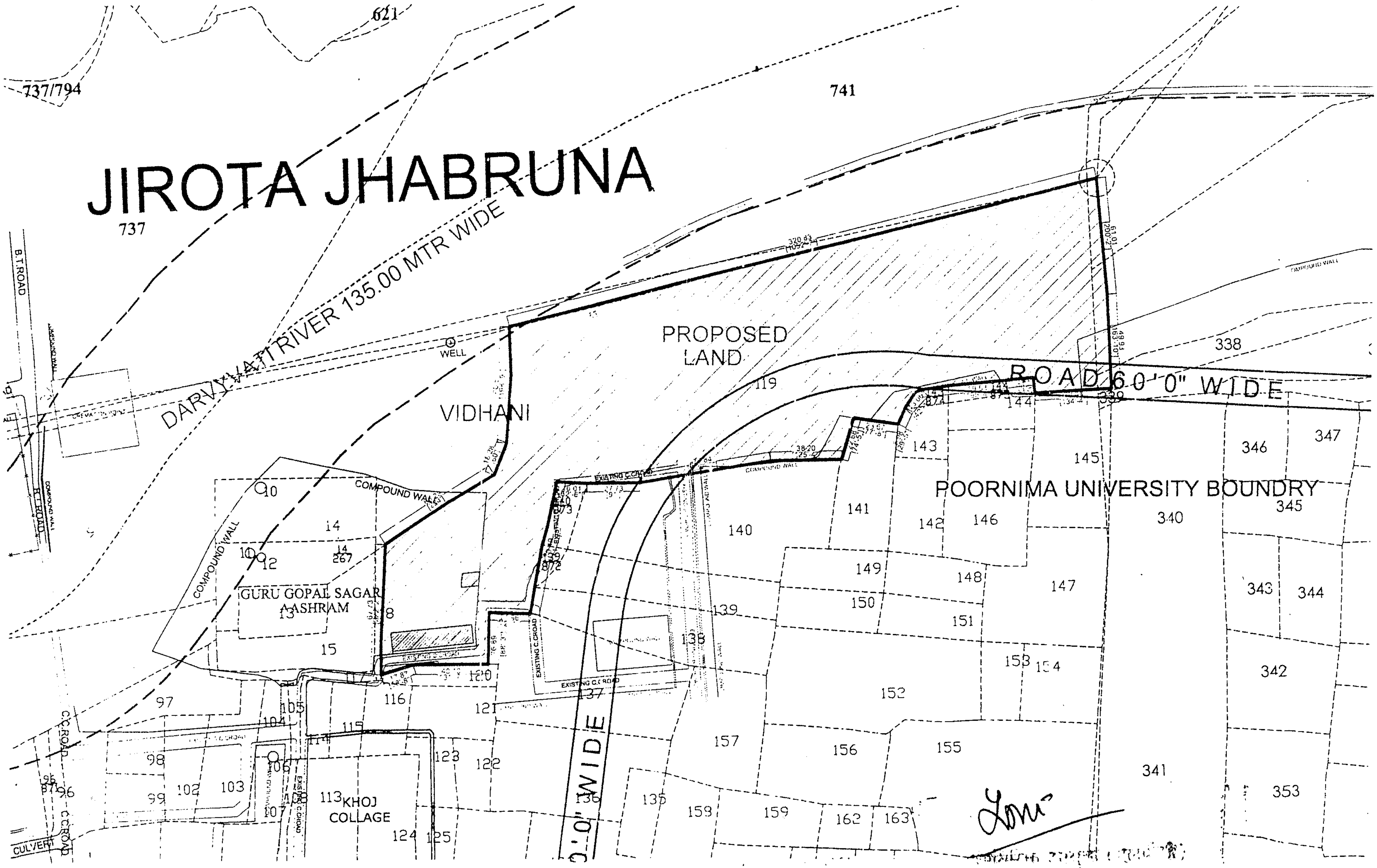
JIROTA JHABRUNA
737
737/794
621
741
DARVYVATI RIVER 135.00 MTR WIDE
WELL
VIDHANI
PROPOSED LAND
119
ROAD 60'0" WIDE
0'0" WIDE
POORNIMA UNIVERSITY BOUNDRY
GURU GOPAL SAGAR AASHRAM
COMPOUND WALL
KHOJ COLLAGE
B.T.ROAD
C.C.ROAD
CULVERT
EXISTING C.C.ROAD
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
353
113
114
115
116
120
121
122
123
124
125
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
162
163
97
98
99
102
103
104
105
106
107
108
10
12
13
14
15
267